ISSN 0973-8541, HUMANITIES AND DEVELOPMENT, VOL.20, No.3, July-Sept., 2025/26

# प्रतिरुप मंत्रिमण्डल के रुप में विपक्ष की भूमिका

कुमुद रंजन एवं वेद प्रकाश

https://doi.org/ 10.61410/had.v20i3.247

## शोध सारांश

प्रतिरुप मंत्रिमण्डल का आशय सरकार के मंत्रिमण्डल जैसा वैकल्पिक मंत्रिमण्डल जिसकी परिकल्पना विपक्ष द्वारा की जाती है। इस वैकल्पिक मंत्रिमण्डल में विपक्ष के प्रमुख नेता सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डल के स्वरूप जैसा ही मंत्रालय बनाकर मंत्री नियुक्त किये जाते हैं। वह वास्तविक मंत्रिमण्डल का भाग न होकर केवल 'प्रतिरुप मंत्री' कहलाते हैं। इस प्रकार के मंत्रियों का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा गठित मंत्रलायों की नीतियों, योजनाओं और कार्यों पर दृष्टि रखना होता है। साथ ही प्रतिरुप मंत्रियों का कार्य जनता के बीच जा कर अपना वैकल्पिक सुझाव तथा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है, जिससे सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का जनमानस के बीच उचित क्रियान्वयन हो सके साथ ही सरकार की अनुचित नीतियों को जनमानस के बीच रखकर उसका विरोध कर सरकार को उत्तरदायी ठहराया जा सके।

**शब्द संकेत – प्रतिरुप मंत्रिमण्डल, क्रियान्वयन, नीतियाँ, शोषण, लोकतंत्र, सशक्तिकरण, वजूद, सत्ता, विपक्ष, वैकल्पिक सरकार, निरंकुशता।**

## शोध–पत्र

भारतीय लोकतंत्र को दुनिया के सबसे बड़ लोकतांत्रिक ढांचे के रूप में मान्यता प्राप्त है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों ही आवश्यक अंग के रूप में कार्य करते हैं। जहाँ सत्ता पक्ष शासन संचालन के उत्तरदायित्व के निवर्हन को निभाता है, वहीं विपक्ष का यह कर्तव्य होता है कि वह सरकार की गतिविधियों को दृष्टि में रखकर जनमानस की आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु सरकार पर दबाव बना सके। प्रतिरुप मंत्रिमण्डल का आशय विपक्ष द्वारा एक वैकल्पिक मंत्रिमण्डल की रचना करना जिसमें विपक्ष अपनी भूमिका का उचित तरीके से निर्वहन कर सके। विपक्ष हमेशा जनहित की रक्षा हेतु यह प्रयास करता है कि सरकर द्वारा बनाये गये कानून, नीतियाँ एवं योजनाऐं जनता के लिए उपयोगी हों। यदि कहीं शोषण हो तो विपक्ष सरकार को आईना दिखा सके।

विपक्ष भी सरकार के प्रतिरुप में वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करता है, विपक्ष का कार्य मात्र आलोचना ही नहीं है बल्कि सरकार की नीतियों की आलोचना के साथ उचित नीति का विकल्प भी प्रस्तुत करे जिससे जनमानस में भी विपक्षी की कार्य योजना का प्रभाव पड़े और यह भी स्पष्ट हो सके कि अगर सरकार में परिवर्तन की सम्भावना दिखाई पड़े तो विपक्ष सत्ता प्राप्त करने का बेहतर विकल्प साबित हो सक।

लोकतंत्र में विपक्ष जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिरूप मंत्रिमण्डल के माध्यम से विभिन्न कार्यों को और अधिक व्यवस्थित रूप से किया जा

- **शोध निर्देशक–आचार्य, राजनीति शास्त्र, का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या (उ0प्र0)**
- **शोध छात्र–राजनीतिशास्त्र, का0सु0 साकेत पी0जी0 कालेज, अयोध्या (उ0प्र0)**

सकता है। कभी कभी सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक होने से लोकतंत्र में सत्ता के निंरकुश होने की सम्भावना बढ़ जाती है। मजबूर विपक्ष एवं प्रतिरूप मंत्रिमण्डल की सक्रियता और सूझबूझ से सत्ता पक्ष पर दबाव बना रहता है जिससे सरकार पर उत्तरदायित्व निवर्हन की बाध्यता भी अधिक बढ़ जाती है।

कई बार विपक्ष द्वारा प्रस्तुत विचार, सुझाव और आलोचना भी नीति निर्माण में सहायक होती है और सरकार अपनी नीतियों में सुधार हेतु प्रेरित भी होती है। भारत में प्रतिरुप मंत्रिमण्डल की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है, परन्तु समय–समय पर विपक्षी दल अपने प्रवक्ताओं और नेताओं को विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व भी सौंपे जाते रहे हैं, यदि इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाय तो लोकतंत्र भी सशक्त और उत्तरदायी हो सकता है। प्रतिरुप मंत्रिमण्डल लोकतंत्र के सशक्तिकरण का प्रतीक है यह न केवल सत्ता पक्ष की गलतियों को उजागर करता है, बल्कि प्रभावी तरीके से विकल्प प्रस्तुत कर जनमानस में भी विश्वास प्राप्त किया जा सकता है।

लोकतंत्र को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में विपक्ष को प्रतिरूप मंत्रिमण्डल की व्यवस्था को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह न केवल स्वस्थ्य लोकतंत्र की दिशा में प्रभावी होगा, बल्कि जनता के अधिकारों और अपेक्षाओं की रक्षा का सशक्त माध्यम भी बन सकता है।

**भारतीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिरूप मंत्रिमण्डल –**

भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में प्रतिरुप में मंत्रिमण्डल की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष अपनी भूमिका का निवर्हन करता है। लेकिन संगठित रूप से 'प्रतिरुप मंत्रिमण्डल' जैसी व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियों में विपक्ष ने अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभाई भी है।

इन्द्रिरा गाँधी द्वारा लगाये गये आपातकाल के पश्चात् हुए चुनाव में गाँधी सरकार का पतन हुआ और जनता दल ने सत्ता सम्हाली। उस समय विपक्ष में रही विभिन्न दलों ने कई मंत्रालयों पर अलग–अलग नेताओं को उत्तरदायित्व दिया गया था। वहीं 1984 से 1996 तक भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न विषयों पर अपने प्रवक्ताओं पर नेताओं को विभिन्न मंत्रालयों से सम्बन्धित उत्तरदायित्व सौंपा गया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन द्वारा संसद में प्रश्नकाल और बहस के दौरान विपक्ष ने लगभग प्रतिरूप मंत्रिमण्डल की भाँति सरकार के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की थी।

भारत में विपक्ष की भूमिका वास्तव में उसके संगठनात्मक सामर्थ्य पर ही निर्भर करती है। जब विपक्ष शक्तिशाली और एकजुट होता है तभी वह सरकार पर अपना प्रभावी नियंत्रण बना पाता है। लेकिन कमजोर विपक्ष तथा विभाजित विपक्ष मात्र आलोचना तक ही सीमित रहता है। लोकतंत्र की आत्मा मात्र चुनावों तक ही सीमित न होकर उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों का संतुलित योगदान भी आवश्यक होता है। विपक्ष की भूमिका मात्र सरकार विरोध करने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह जनमानस में अपना विश्वास खो देता है। किन्तु यदि विपक्ष प्रतिरूप मंत्रिमण्डल के रूप में कार्य करता रहे तो वह न केवल सरकार को नियन्त्रित कर सकता है, बल्कि वह स्वयं को उत्तरदायित्व पूर्ण वैकल्पिक सरकार के रूप में भी स्थापित कर सकता है। वास्तव में भारतीय लोकतंत्रीय प्रणाली में

प्रतिरूप मंत्रिमण्डल की औपचारिक परम्परा तो नहीं रही है, किन्तु अगर इस व्यवस्था के विषय में सोंचा जाय तो लोकतंत्र की महत्ता अवश्यक ही बढ़ जायेगी।

**शोध की परिकल्पना –**

शोध अध्ययन की मुख्य परिकल्पनाऐं निम्नलिखित है –

1. वर्तमान भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सशक्त विपक्ष की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है।
2. वर्तमान संसदीय प्रणाली में एक सशक्त विपक्ष की परमपरा में गिरावट आयी है।
3. लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष का दायित्व सत्ता की निरंकुशता पर नियन्त्रण स्थापित करना होता है, जो वर्तमान स्थिति में नगण्य दिखाई पड़ती है।
4. भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में सत्ता पक्ष के दिग्भ्रमिक होने पर संवैधानिक उपायों के द्वारा विपक्ष दिशा–बोध के दायित्व का निर्वहन करें।
5. वर्तमान संसदीय प्रणाली में मजबूर विपक्ष सत्ता पक्ष की गैर जिम्मेदाराना एवं जन–विरोधी नीतियों के दुरूपयोग को रोका जा सकता है।
6. समसामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिज्ञों की भूमिका मुख्यतः विपक्षी राजनीतिज्ञों की भूमिका नकारात्मक परिलक्षित होती है।

**शोध प्रारूप –**

प्रस्तुत शोध अध्ययन में विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रारूप का प्रयोग किया गया है। वर्तमान अध्ययन में तथ्यों का संकलन अध्ययन एवं समस्या को दृष्टिगत रखकर शोधकर्ता द्वारा तथ्य संकलन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है।

**सम्बन्धित साहित्य –**

डॉ0 सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तकः दल बदल विरोधी कानून और संसदीय विशेषाधिकार, युनिवसिर्टी लॉ पब्लिशिंग कम्पनी प्रयागराज द्वारा लिखी पुस्तक में भारतीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में चुनावी सुधार की प्रक्रिया को एक समस्या कहा गया। 1985 में दल–बदल कानून पारित होने के पश्चात् हुए सुधार के बावजूद सत्तापक्ष और विपक्ष अपनी नैतिक प्रतिबद्धता को पार्टी के सामने नतमस्तक दिखाई पड़ते हैं।

डॉ0 सुन्दर राम ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीति में विपक्षी दलों की भूमिका को सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए अपनी सामंजस्य को आवश्यक बताया है। आपसी भेदभाव को अन्तराष्ट्रीय मंचो से दूर रखने के विभिन्न माध्यमों को अलग–अलग राज्यों में देखने का प्रयास किया है।

जे0 जहलुना द्वारा लिखित पुस्तक विधान मण्डल में विपक्षी दलों की भूमिका में भारत के सन्दर्भ में बहुदलीय व्यवस्था की ओर संकेत किया गया है। वही एम0के मुखर्जी ने विपक्ष की भूमिका हेतु संसद में जनसंघ को सही विपक्षी दल कहा था, बाकी दलों को रमन पिल्लै ने कन्जवैटिव की संज्ञा दी थी।

प्रो0 एस0एम0 सईद ने अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था का अनुभवात्मक अध्ययन किया था। संविधान द्वारा स्थापित राजनैतिक संस्थाओं ने स्वतंत्रता के पश्चात् किस प्रकार से कार्य किया है। इन संस्थाओं के कार्य संचालन को जन साधारण के राजनैतिक आचारण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है। किस प्रकार संवैधानिक संकट उत्पन्न होते है। इत्यादि पक्षों का विधिवत् विवेचन किया है।

प्रो0 रजनी कोठारी ने भी अपनी पुस्तक : रेथकिंग डेमोक्रेसी में भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को शक्ति प्रदान करने हेतु विभिनन सम्भावनाओं की भी चर्चा की है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के नये विकल्प की खोज को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना है कि राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् गलत साधनों का प्रयोग कर देश में जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं नक्सलवाद को संरक्षण प्रदान करते है। जिससे एक परिपक्व लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में भारत का विपक्ष न केवल खण्डित है बल्कि स्वयं के अस्त्वि को अधिक अहमियत के कारण वह मांत्र दिखावे के लिए किसी मंच पर एक साथ दिखाई मात्र पड़ जाते है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कमजोर विपक्ष अव्यवस्था का शिकार है, वह दिखावे मात्र से चाहता है कि भारतका जनमानस उन्हें पुनः सत्ता सौंप दे। किनतु समस्या यह है कि आज के विपक्ष के पास कोई संस्थागत क्रियाकलायों के लिए प्रतिपक्ष जैसा न तो विजन है और न ही कोई खास दृष्टिकोण ही है। अतः भारत के लोकतंत्र में संसदीय विपक्ष को पुनर्जीवित होना पड़ेगा अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब सत्ता पक्ष को सही –गलत पर टीका–टिप्पणी करने वाले मात्र काम चलाऊँ होंगे।

संदर्भ–सूची :

1- Subhash ; C. Kashyap ; Ariti – defection Law and Parliyamentary Privileges, University Law Publisling company. Prayagraj-1992.

2- Sundar Ram ; Role of opposition Parties in Indian Politices Day & Deep Publication. New Delhi-1997

3. चौबे शिवानी किंकर ; भारतीय संविधान रचना एवं कार्य, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत.2020

4. www.drishtilas.com

5. सुभाष कश्यप हमारी संसद ; राष्ट्रीय पुस्तक न्याय भारत, नई दिल्ली।